पूर्वोत्तर रेलवे
अधिसूचना

विषयः– इज्जतनगर मण्डल के विद्युत/टीआरडी विभाग में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा आधार पर रि–इंगेज (Re-engagement) किए जाने के सम्बन्ध में।

रेलवे बोर्ड के पत्र सं0–E(NG)II/2024/RC-4/9 DATED 15-10-2024 एवं दि0 31.12.2024 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत एवं मुख्यालय के पत्र सं0 NER-HQ0PERS(MISC)/48/2025- O/o PCPO/NER (Computer no 141109) दि0 13-10-2025 के द्वारा महाप्रबन्धक महोदया के अनुमोदन उपरान्त मण्डल के विद्युत/टीआरडी विभाग में निम्नलिखित रिक्त पदों पर रेल सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को संविदा आधार पर रि–इंगेज (Re-engagement) किए जाने का निर्णय लिया गया है:–

क्र0सं0	पदनाम	लेवल	रिक्तियों की संख्या	चिकित्सा श्रेणी
1	जू0इंजी0/ विद्युत/टीआरडी	6	5	ए–3
योग			5	

उपरोक्त पदों पर रि–इंगेजमेंट हेतु दैनिक पारिश्रमिक आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्धारित प्रारूप पर समान विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:–

1– रि–इंगेज किए जाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी संरक्षा सम्बन्धी सेवा निवृत्ति योजना/उदारीकृत एक्टिव सेवा निवृत्ति योजना (लार्सजेस) के अन्तर्गत रि–इंगेज हेतु स्वीकार्य नहीं होंगे।

2– रि–इंगेज से पूर्व भूतपूर्व कर्मचारी को आवेदित पद हेतु निर्धारित चिकित्सा श्रेणी (ए–3) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

3– रि–इंगेज से पूर्व आवेदित पद हेतु कर्मचारी की सुयोग्यता/सक्षमता तथा संरक्षा पदों हेतु अधिमान्य मानकों की जांच/आंकलन किया जाना आवश्यक होगा।

4– अन्य विभाग एवं कारखाना से सेवानिवृत्त हुए रेल कर्मचारी उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत अधिमान्य नहीं होगें।

5– आरआरबी/आरआरसी/नियमित स्टाफ की उपलब्धता या असंतोषजनक प्रदर्शन या स्टाफ की आवश्यकता की कमी आदि पाये जाने पर रि–इंगेज स्टाफ को आरबीई संख्या 96/2024 के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से तुरन्त रि–इंगेजमेंट सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

6– अनुशासन एवं अपील नियम के तहत अनिवार्य सेवा निवृत्त समीक्षाधीन समय से पूर्व सेवा मुक्ति/लार्सजेस के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारी रि–इंगेज हेतु पात्र नहीं होंगे।

7– रि–इंगेज हेतु इच्छुक कर्मचारी/आवेदक आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित अन्तिम कार्यरत स्थल के पर्यवेक्षक से अपना आवेदन अग्रसारित कराकर मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक) इज्जतनगर कार्यालय के ई0जी0आर0एस0 अनुभाग में दि0 17.11.2025 तक आवश्यक रूप से जमा करना सुनिश्चित करें। आवेदन का प्रारूप संलग्न है।

8– सेवानिवृत्त कर्मचारियों की रि–इंगेज इज्जतनगर मण्डल के सभी उप मण्डलों में की जा सकती हैं।

9– रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 E(NG)II/2024/RC-4/9, दिनांक 15.10.2024 अनुसार अनुबंध की अवधि के दौरान पारिश्रमिक के रूप में एक निश्चित मासिक राशि देय होगी, जो

सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन में से मूल पेंशन की कटौती करके निर्धारित की जायेगी। अन्य शब्दों में सेवानिवृत्ति पर प्राप्त कर रहे वेतन से अधिक नहीं होगा। अनुबंध की अवधि के दौरान कोई वेतनवृद्धि, महंगाई भत्ता और एचआरए देय नहीं होगा।

10– रि–इंगेज हेतु इच्छुक सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के पिछले 5 वर्षो की ए0पी0ए0आर0 की समीक्षा की जायेगी एवं केवल उन्हीं कर्मचारियों पर विचार किया जायेगा जिनकी सभी 5 वर्षो में कम से कम 'अच्छी' ग्रेडिंग रही हो।

11– रि–इंगेज के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी और रि–इंगेज की अधिसूचना की तिथि को आवेदक की आयु 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

12– यह योजना निर्देश जारी होने की तिथि 15.10.2024 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, से 2 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए लागू रहेगी। किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की रि–इंगेज के तहत कुल सेवा अवधि 1 वर्ष या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, रहेगी। हालांकि रि–इंगेज सेवानिवृत्त कर्मचारी के संतोषजनक कार्य–निष्पादन के आधार पर उसकी नियुक्ति अवधि को एक वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाया जा सकता है।

13– सेवा के प्रत्येक पूरे महीने के लिए 1.5 दिन की दर से सवेतन अवकाश की अनुमति दी जायेगी। एक कैलेंडर वर्ष से अधिक अवकाश संचय की अनुमति नहीं दी जायेगी।

14– अनुबंध की अवधि के दौरान निवास और कार्यस्थल के बीच का आवागमन के लिए परिवहन भत्ते के रूप में एक उचित और निश्चित राशि दी जायेगी, जो सेवानिवृत्ति के समय नियुक्त व्यक्ति पर लागू दर से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार निर्धारित राशि नियुक्ति की अवधि तक अपरिवर्तित रहेगी। हालांकि सेवानिवृत्ति के समय उनकी पात्रता के अनुसार उन्हें आधिकारिक दौरे पर यात्रा भत्ता (टीए/डीए) यदि कोई हो, दिया जायेगा।

15– रि–इंगेज कर्मचारी को मण्डल यूनिट एवं कंस्ट्रक्शन यूनिट का प्रभारी नहीं बनाया जायेगा। उसे वित्तीय और डी.एंड ए. आर अधिकार नहीं दिए जायेंगे और उन्हें कोई सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं दिया जायेगा। हालांकि रि–इंगेज कर्मचारी वित्तीय और अन्य मामलों पर अपने सुझाव नियमित सेवारत कर्मचारियों/अधिकारियों को दे सकते हैं।

16– रि–इंगेज हेतु भूतपूर्व कर्मचारी डीएआर/विजलेंस केस से मुक्त होना चाहिए एवं ऐसे भूतपूर्व कर्मचारी जिनको रि–इंगेज हेतु विचार किया जाना है, की सत्यनिष्ठा (Integrity) की जांच की जायेगी।

17– रेलवे बोर्ड के पत्र दि0 31.12.2024 में निहित प्रावधान के अनुसार लेवल–1 से लेवल–9 तक सेवानिवृत्त हुए रेल कर्मचारियों को संविदा आधार पर रि–इंगेज किये जाने हेतु विचार किया जायेगा। इसके अलावा एमएसीपी योजना के तहत उच्च वेतन पाने वाले पूर्व कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय उनके मूल वेतन स्तर के सम्बन्ध में पुनः नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।

18– इस अधिसूचना का विस्तृत विवरण एवं आवेदन पत्र का प्रारूप रेलवे की बेवसाइट ner.indanrailways.gov.in पर उपलब्ध है।

17.10.25

(आनन्द कुमार)
सकाधि–आई/आर
कृते मण्डल रेल प्रबन्धक (का0)
इज्जतनगर

सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन में से मूल पेंशन की कटौती करके निर्धारित की जायेगी। अन्य शब्दों में सेवानिवृत्ति पर प्राप्त कर रहे वेतन से अधिक नहीं होगा। अनुबंध की अवधि के दौरान कोई वेतनवृद्धि, महंगाई भत्ता और एचआरए देय नहीं होगा।

10– रि–इंगेज हेतु इच्छुक सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के पिछले 5 वर्षो की ए0पी0ए0आर0 की समीक्षा की जायेगी एवं केवल उन्हीं कर्मचारियों पर विचार किया जायेगा जिनकी सभी 5 वर्षो में कम से कम 'अच्छी' ग्रेडिंग रही हो।

11– रि–इंगेज के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी और रि–इंगेज की अधिसूचना की तिथि को आवेदक की आयु 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

12– यह योजना निर्देश जारी होने की तिथि 15.10.2024 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, से 2 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए लागू रहेगी। किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की रि–इंगेज के तहत कुल सेवा अवधि 1 वर्ष या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, रहेगी। हालांकि रि–इंगेज सेवानिवृत्त कर्मचारी के संतोषजनक कार्य–निष्पादन के आधार पर उसकी नियुक्ति अवधि को एक वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाया जा सकता है।

13– सेवा के प्रत्येक पूरे महीने के लिए 1.5 दिन की दर से सवेतन अवकाश की अनुमति दी जायेगी। एक कैलेंडर वर्ष से अधिक अवकाश संचय की अनुमति नहीं दी जायेगी।

14– अनुबंध की अवधि के दौरान निवास और कार्यस्थल के बीच का आवागमन के लिए परिवहन भत्ते के रूप में एक उचित और निश्चित राशि दी जायेगी, जो सेवानिवृत्ति के समय नियुक्त व्यक्ति पर लागू दर से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार निर्धारित राशि नियुक्ति की अवधि तक अपरिवर्तित रहेगी। हालांकि सेवानिवृत्ति के समय उनकी पात्रता के अनुसार उन्हें आधिकारिक दौरे पर यात्रा भत्ता (टीए/डीए) यदि कोई हो, दिया जायेगा।

15– रि–इंगेज कर्मचारी को मण्डल यूनिट एवं कंस्ट्रक्शन यूनिट का प्रभारी नहीं बनाया जायेगा। उसे वित्तीय और डी.एंड ए. आर अधिकार नहीं दिए जायेंगे और उन्हें कोई सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं दिया जायेगा। हालांकि रि–इंगेज कर्मचारी वित्तीय और अन्य मामलों पर अपने सुझाव नियमित सेवारत कर्मचारियों/अधिकारियों को दे सकते हैं।

16– रि–इंगेज हेतु भूतपूर्व कर्मचारी डीएआर/विजलेंस केस से मुक्त होना चाहिए एवं ऐसे भूतपूर्व कर्मचारी जिनको रि–इंगेज हेतु विचार किया जाना है, की सत्यनिष्ठा (Integrity) की जांच की जायेगी।

17– रेलवे बोर्ड के पत्र दि0 31.12.2024 में निहित प्रावधान के अनुसार लेवल–1 से लेवल–9 तक सेवानिवृत्त हुए रेल कर्मचारियों को संविदा आधार पर रि–इंगेज किये जाने हेतु विचार किया जायेगा। इसके अलावा एमएसीपी योजना के तहत उच्च वेतन पाने वाले पूर्व कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय उनके मूल वेतन स्तर के सम्बन्ध में पुनः नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।

18– इस अधिसूचना का विस्तृत विवरण एवं आवेदन पत्र का प्रारूप रेलवे की बेवसाइट ner.indanrailways.gov.in पर उपलब्ध है।

17.10.25

(आनन्द कुमार)
सकाधि–आई/आर
कृते मण्डल रेल प्रबन्धक (का0)
इज्जतनगर

संलग्न– (आवेदन का प्रारूप)

सं0–का / 227 / रि–इंगेजमेंट / इंजी0 / 8 दि0 17.10.2025

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं विद्युत) पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
2– वमंविइं / टीआरडी / इज्जतनगर 3– मविइं / टीआरडी / इज्जतनगर
4– मु0 जनसम्पर्क अधिकारी / पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर
5– समंविइं / फर्रूखाबाद
6– सभी सीसेइं / वि0 / टीआरडी / इज्जतनगर मण्डल
7– जन सम्पर्क अधिकारी / इज्जतनगर
8– प्रभारी आईटी / सेल / इज्जतनगर– कृपया जारी अधिसूचना को बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु
09– मण्डल मंत्री / एनईआरएमसी / इज्जतनगर
10– मण्डल मंत्री / एससी–एसटी / एसोसिएशन इज्जतनगर
11– मुकार्याधी / ईजीआरएस / इज्जतनगर–कृपया उक्त के अनुसार भूतपूर्व कर्मचारियों के रि–इंगेज हेतु प्राप्त आवेदनों को एक बंच में इस अनुभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।
12– सीसेइं / टीपीसी / टीआरडी कंट्रोल / इज्जतनगर

17.10.25

(आनन्द कुमार)
सकाधि–आई / आर
कृते मण्डल रेल प्रबन्धक (का0)
इज्जतनगर

विषय

आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा की तत्कालिक आवश्यकताओं के लिए दैनिक पारिश्रमिक आधार पर रि–इंगेज हेतु विद्युत/टीआरडी विभाग के सेवानिवृत्ति रेल कर्मचारियों द्वारा भरा जाने हेतु आवेदन पत्र

संदर्भः– अधिसूचना सं0–का/227/रि–इंगेजमंट/वि0/टीआरडी/8, दि0 17.10.2025

1– नामः–

2– पिता का नामः–

3– सेवानिवृत्ति के समय पदनामः–

4– सेवानिृत्ति के समय मूल वेतन/लेवलः–

5– विभाग/कार्यस्थलः–

6– शैक्षिक/तकनीकि योग्यताः–

7– जन्मतिथि(प्रमाण पत्र संलग्न करें):–

8– नियमित नियुक्ति तिथिः–

9– सेवानिवृत्ति तिथिः–

10–पी0एफ0 संख्याः–

11–अजा0/अजजा0/ओबीसी प्रमाण पत्रः–

12– प्राप्त बेसिक पेंशन/लेवलः–

13– मोबाइल संख्याः–

14– आवेदन किए जाने हेतु मण्डल/विभाग/पदनामः–

15– कार्यालय जहां से सेवानिवृत्त हुए हैंः–
(यूनिट/विभाग/कार्यस्थल)

16– आधार/पैन संख्याः–

17– पत्राचार का पता (पिनकोड सहित) :–

पासपोर्ट साइज का नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करें।

विषय

18– सेवानिवृत्त कर्मचारी आवेदन के साथ आवश्यक रूप से निम्न प्रपत्र संलग्न करें:– 1– पीपीओ 2– पेंशनर आई कॉर्ड 3– बैंक पास बुक (जिसमें आई0एफ0एस0सी0 कोड स्पष्ट अकित हो) 4– पैन कॉर्ड 5– आधार कॉर्ड 6– नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ

घोषणा पत्रः– मै प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त दी गयी समस्त सूचना सही एवं प्रमाणिक हैं, यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गयी कोई सूचना किसी स्तर पर गलत पायी जाये, तो मुझे संविदा आधार पर रेल सेवा में रि–इंगेजमेंट सेवा से तत्काल सेवा समाप्त की दी जाये, मै इसके लिए किसी प्रकार का कोई दावा अथवा परिवाद नहीं करूँगा।

भूतपूर्व कर्मचारी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कार्यस्थल

अग्रसारित करने वाले प्रभारी का हस्ताक्षर
सील एवं दिनांक